हरियाणा सरकार
विद्यालय शिक्षा विभाग
अधिसूचना

दिनांक 03 अप्रैल, 2026

संख्या 21/1–2024 ACD (14).– हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का 12) की धारा 24 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात :–

1. ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2026 कहे जा सकते हैं।
2. ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगें।
3. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में, नियम 131 में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात :–

(i) उपनियम (1) में 3 से 5 अंक और शब्दों के स्थान पर 3 से 6 अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगें ; तथा

(ii) उपनियम (2) में "पाँच" शब्द के स्थान पर "छः" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

Vijay Dahiya

विजय सिंह दहिया, आई०ए०एस०
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग